आदेश क्रम कार्रवाई टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 राजकुमार पासवान पिता स्व0 रामचन्द्र राम, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-1942, रकवा 0.0375 एकड़ (3.75 डिसमिल) (तीन दशमलव सात पाँच डिसमिल) भूमि किशोर कुमार रजक पिता देवकी रजक, निवास स्थान ग्राम-बड़कागाँव, पोस्ट एवं थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22028369 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-665/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3444/रा0 दिनांक 13.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3011 दिनांक 27.12.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत चमन दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.71 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 161.63 डिसमिल भूमि है, जिसमें अन्य खाता भी शामिल हैं। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-205/IX पर गोविन्द राम, भोला राम, त्रिवेणी राम, प्यारी देवी, राजकुमार राम, जगेश्वर राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2018-19 तक निर्गत् है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाता में रकवा 161.63 डिसमिल भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 157.88 डिसमिल भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[illegible] कार्रवाई [illegible] टिप्पणी तारी[illegible]
1	2	3
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजकुमार पासवान पिता स्व0 रामचन्द्र राम, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-24, प्लॉट संख्या-1942, रकवा 0.0375 एकड़ (3.75 डिसमिल) (तीन दशमलव सात पाँच डिसमिल) भूमि किशोर कुमार रजक पिता देवकी रजक, निवास स्थान ग्राम-बड़कागाँव, पोस्ट एवं थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.14 16:34:44 +05:30
Location: 192.168.230.214